

बिहार लोक सेवा आयोग  
15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना- 800001


### आवश्यक सूचना

60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के अन्तर्गत CWJC No.- 2276/2017, Mayank kumar vs. The State of Bihar & others एवं अन्यवादों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण घोषित 05 उम्मीदवारों, अनुक्रमांक- 343672, 343677, 343681, 343688 एवम् 343701 से ऑफलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे जिसमें से मात्र 02 उम्मीदवारों - 343681 एवं 343688 से ही आवेदन प्राप्त हुए। शेष 03 उम्मीदवारों, अनुक्रमांक- 343672, 343677 एवम् 343701 के आवेदन पत्र अप्राप्त रहने के कारण इनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी गई है।

एक अन्य उम्मीदवार, अनुक्रमांक - 141564, अश्विनी कुमार द्वारा मात्र ऑफलाईन आवेदन पत्र भरकर भेजा गया है, जबकि उन्हें ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी आयोग को भेजी जानी थी। फलस्वरूप इनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी गई है।

उपरोक्त अभ्यर्थियों को अपने अभ्यर्थिता रद्द होने पर यदि कोई आपत्ति हो तो पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन पत्र समर्पित करने सम्बन्धी साक्ष्य के साथ अभ्यावेदन दिनांक 18.04.2018 की संध्या 5.00 बजे तक आयोग के ई-मेल: [bpscpat-bih@nic.in](mailto:bpscpat-bih@nic.in) पर दे सकते हैं। उनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन एवं संलग्न साक्ष्य के समीक्षोपरान्त आयोग द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

निर्धारित तिथि/समय तक अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।

  
संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना